



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230081
CG-DL-E-30092021-230081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565]
No. 565]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 54/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 685(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “3 प्रतिशत से कम जल अवशोषण युक्त पालिश की हुई अथवा बिना पालिश की तैयार ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोरसेलेन/विट्रीफाइड टाइलें” (एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 6907 या 6914 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/39/2020-डीजीटीआर, दिनांक 22 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 22 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को और आगे भी बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3में, अंक, अक्षर और शब्द “31 दिसम्बर, 2021” के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द “28 फरवरी, 2022” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/44/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 29/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जून, 2017 को सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 14 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 34/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 442(अ), दिनांक 28 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 54/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 685(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/39/2020-DGTR, dated the 22nd January, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd January, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of “Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less than 3% water absorption” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under headings 6907 or 6914 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 29/2017-Customs (ADD), dated the 14th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 588 (E), dated the 14th June, 2017, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of subsection (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

And whereas, the designated authority has requested for further extension of the anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2017-Customs (ADD), dated the 14th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 588 (E), dated the 14th June, 2017, namely: -

In the said notification, in paragraph 3, for the figures, letters and word “31st December, 2021”, the figures, letters and word “28th February, 2022” shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/44/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 29/2017-Customs (ADD), dated the 14th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 588 (E), dated the 14th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 34/2021-Customs (ADD), dated the 28th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 442 (E), dated the 28th June, 2021.